न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-62/2018-19

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

कालीपद महतो बनाम वीणा देवी

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता – कालीपद महतो, पिता–स्व० राधारमण महतो, ग्राम–दानाडीह, पो०–दानाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुर्मी,(महतो) पेशा–खेती।

क्रेता का नाम एवं पता – वीणा देवी, पति–श्री विसुवा महतो, ग्राम–दानाडीह, कटहर टोली, पो०–दानाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुर्मी,(महतो) पेशा–खेती।

विद्वान अधिवक्ता का नाम – श्री मौनब्रत मुखर्जी।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–04/05/18 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता वीण देवी, पति–श्री विसुवा महतो, ग्राम–दानाडीह, कटहर टोली, पो०–दानाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुर्मी,(महतो) पेशा–खेती, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी हैं:–

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
गोमयाडीह	सोनाहातु	59	110	04	04 डी०

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, सोनाहातु का पत्रांक–48(ii) दिनांक–07/02/19 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम भवन महतो वल्द बहादुर महतो कौम कुरमी दर्ज है।

(2) विक्रेता खतियानी रैयत के पोता है।

(3) पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम राधारमण महतो वो माली महतो, पिता–भवन महतो है, तथा रैयत के पास कुल 1.02 एकड़ भूमि है।

(4) विक्रेता जमाबंदी रैयत के पुत्र है, तथा खतियानी के आधार जमाबंदी कायम है।

(5) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किस्म की है।

(6) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2009–10 तक वसूली गयी है।

(7) प्रस्तावित जमीन विक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास आवेदन के अनुसार 2.34 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को लड़की की शादी हेतु विक्री कर रहे है।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो पिछड़ी जाति (कुरमी) के सदस्य है।

(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही जिला राँची के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सोनाहातु ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत विक्रेता कालीपद महतो, पिता–स्व० राधारमण महतो, ग्राम–दानाडीह, पो०–दानाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुर्मी,(महतो) पेशा–खेती, को क्रेता वीणा देवी, पति–श्री विसुवा महतो, ग्राम–दानाडीह, कटहर टोली, पो०–दानाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुर्मी,(महतो) पेशा–खेती, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–04/06/2018 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता कालीपद महतो, पिता–स्व० राधारमण महतो, ग्राम–दानाडीह, पो०–दानाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुर्मी,(महतो) पेशा–खेती, को क्रेता वीणा देवी, पति–श्री विसुवा महतो, ग्राम–दानाडीह, कटहर टोली, पो०–दानाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुर्मी,(महतो) पेशा–खेती, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
गोमयाडीह	सोनाहातु/59	110	04	04 डी०

लेखापित एवं संशोधित।

ह० 15/03/19

भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू।

ह० 15/03/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।

बुण्डू।